FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District (जिला):** जबलपुर **P.S. (थाना):** क्राइम ब्रांच

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0004 **Year (वर्ष):** 2025

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 05/09/2025 00:10 बजे

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा द सं 1860	420
2	आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955	3
3	आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955	7
4	सूचना प्रोधौगिकी (संशोधन) अधिनियम 2008	66D

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day (दिन):** दरमियानी दिन
   Date From (दिनांक से): 31/08/2022
   Date To (दिनांक तक): 31/10/2022
   Time Period (समय अवधि):
   Time From (समय से): 00:00 बजे
   Time To (समय तक): 00:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 04/09/2025
Time (समय): 22:30 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 030
Date & Time (दिनांक और समय): 05/09/2025 00:10

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S.(थाना से दूरी और दिशा): दक्षिण, 4 किमी

Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): गोहलपुर अनुविभाग व ,अनुविभाग गोरखपुर

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S.(थाना का नाम): District(State) (ज़िला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): शासन की ओर से ऋषभ जैन

(b) Father's Name (पिता का नाम) : बी.सी. जैन

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1969 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No.(पासपोर्ट सं.): Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	कलेक्टर कार्यालय जबलपुर ,जबलपुर,मध्य प्रदेश,भारत
2	स्थायी पता	कलेक्टर कार्यालय जबलपुर ,जबलपुर,मध्य प्रदेश,भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9425465901

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	आकाश नेचलानी /AKASH			1. विक्रेता अमर उपभोक्ता ,सहकारी भण्डार ,कोड क्रमांक

	NECHLANI			3316326,जबलपुर,मध्य प्रदेश,भारत

2	जात 32 अन्य व्यक्ति नामजद एफ.आई. आर. विवरण मे लेख /OTHER 32 PERSON			1. एफआईआर में दर्ज ,क्राइम ब्रांच,जबलपुर,मध्य प्रदेश,भारत

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant** (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

शिकायतकर्ता के थाना उपस्थित आने पर

9. **Particulars of properties of interest** (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	**Property Category** (संपत्ति श्रेणी)	**Property Type** (सम्पत्ति का प्रकार)	**Description** (विवरण)	**Value(In Rs/-)** (मूल्य (रु में))
1	अन्य	कृषि उत्पाद	गेहूँ, चावल, नमक, शक्कर	2,20,12,460.00

10. **Total value of property (In Rs/-)**-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में): 2,20,12,460.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any** (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू॰डी॰प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	**UIDB Number** (यू॰डी॰प्रकरण सं.)

12. **First Information contents** (प्रथम सूचना तथ्य):

आवेदक ऋषभ जैन संयुक्त कलेक्टर जवलपुर के व्दारा थाना अपराध में उपस्थित आकर थाना प्रभारी अपराध शाखा जिला जबलपुर के नाम से कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) जिला जबलपुर के पत्र क्रमांक/ 1019/ खाद्य शाखा /2025 जबलपुर दिनाँक 04/09/2025 आरोपीगण अनुविभाग गोरखपुर एवं अनुविभाग गोहलपुर उपभोक्ता सहकारी भंडार के अध्यक्ष, विक्रेता, सहायक विक्रेता, कनिष्ठ आपूर्ती अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मोनेटरिंग यूनिट के व्दारा दिनाँक 31/08/2022 से 31/10/2022 के दरम्यान शासकीय उचित मूल्य दुकानो से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के स्टक को वास्तविक हितग्राहियों को वितरण करने के बजाय, रुपये 2,20,12,460.00 दो करोड़ बीस लाख बाहर हजार चार सौ साठ रूपये मूल्य के स्टक की अफ़रातफ़री कर धोखाधडी करने और पीओएस मशीन/पोर्टल से अवैधानिक रूप से स्टक घटाने के आपराधिक कृत्य के लिए प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के संबंध में पृष्ट क्रमांक 1 से लगायत 14 तक टाईपशुदा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। आवेदन पत्र के मजबून से धारा 420 भा.द.वि.,3,7 आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं 66 डी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का अपराध पाये जाने से आरोपी श्री आकाश नेचलानी एवं अन्य 32 नामजद के विरूध्द अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। आवेदन नकल अक्षरशः जैल है- कार्यालय कलेक्टमर (खाद्य शाखा) जिला जबलपुर क्रं./1019 /खाद्य शाखा/2025 जबलपुर, दिनांक04.09.2025 प्रति,थाना प्रभारी, अपराध शाखा जिला जबलपुर विषय :- शासकीय उचित मूल्य दूकानो से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के स्टक को वास्तविक हितग्राहियों को वितरण करने की बजाय, रुपये 2,20,12,460.00 मूल्य के स्टक की अफ़रातफ़री कर धोखाधडी करने और अफ़रातफ़री की गई मात्रा को पीओएस मशीन/पोर्टल से अवैधानिक रूप से घटाने के आपराधिक कृत्य के लिए प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के संबंध में। 1.शासकीय उचित मूल्यक दूकानो पर लगाई गई पीओएस मशीन/ पोर्टल से राशन सामग्री के स्टंक

में अफरातफरी के संवध में कलेक्टर जबलपुर के आदेश क्रमांक 5224 दिनांक 20.08.2025 द्वारा जाँच दल का गठन किया गया। जांच दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 02.09.2025 की प्रति संलग्न है।2.आयुक्त, खादय,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक 5356/खाद्य/2024 भोपाल दिनांक 10.10.2024 द्वारा एनआईसी हैदराबाद से ई-मैल के माध्यरम सेप्राप्त जानकारी के आधार पर अवगत कराया गया कि iजबलपुर जिले की 11 उचित मूल्य की दुकानों पर संचालित पीओएस मशीन/ पोर्टल से दिनांक 31.08.2022, 05.09.2022, 29.09.2022, 31.10.2022 को AePDSपोर्टल के स्टेट एडमिन लगिन का उपयोग करते हुए 391.780 मेट्रिक टन गेहूं, 338.789 मेट्रिक टन चावल, 3.027 मेट्रिक टन नमक और 0.97 मेट्रिक टन शक्कर का स्टक कम किया जाना पाया गया है। ii स्टक कम करने के लिए, स्टेट एडमिन लगिन का उपयोग, आईपीएड्रेस क्रमांक27.56.249.185 एवं 157.34.236.76 से किया गया है। आईपी एड्रेस क्रमांक 27.56.249.185 एवं 157.34.236.76 संचालनालय खाद्य की नहीं हैं और ना ही संचालनालय स्तर से उक्त उचित मूल्य दुकान का स्टक कम किया गया है। iii उक्त आईपी एड्रेस का उपयोग जबलपुर नगर निगम क्षेत्रकेयूजरआई.डी. jso_2363702 एवं jso_23637के द्वारा किया जाता है। iv स्पष्ट है कि इन यूजर आईडी (jso_2363702 एवं jso_23637) द्वारा उक्त आईपी एड्रेस (27.56.249.185 एवं 157.34.236.76) का उपयोग करते हुए पीओएस मशीन/पोर्टल से राशन सामग्री का स्टक कम किया गया है। 4.आयुक्त द्वारा लक्षित सार्वजनिक प्रणाली के अंतर्गत आवंटित सामग्री के स्टक की अफ़रातफ़री कर अनाधिकृत लाभ अर्जित करने वालों की जांच कराई जाकर आरोपियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु कलेक्टर जबलपुर को निर्देशित किया गया। 5.दिनांक 19.08.2025 को कलेक्टर जबलपुर के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गई कि फूड कंट्रोलर जबलपुर, नुजहत बानो द्वारा कनिष्ठर आपूर्ति अधिकारी के सहयोग से पीओएस मशीन/एईपीडीएस पोर्टल में छेडछाड कर विभिन्न राशन दुकान से गेंहू,चावल, नमक और शक्कर का स्टॉीक घटाकर 2.20 करोड रूपये ये अधिक की राशन सामग्री की कालाबाजारी कराई गई है। इसके ऐवज में फूड कंट्रोलर द्वारा 900 रूपये प्रति किग्रा के हिसाब से 60 लाख रूपये से अधिक की रिश्वसत वसूल की गई है। उपरोक्तव घोटाले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु शासन द्वारा पत्र क्रमांक 5356/खादय/2024 भोपाल दिनांक 10 अक्टुबिर 2024 और 3148/खादय/2025 भोपाल 2 जून 2025 के माध्यसम से भी लिखा गया है किन्तुा शासन के आदेशो को भी फूड कंट्रोलर नुजहत बानो द्वारा दबा दिया गया है। 5.इस आशय की एक शिकायत जनसुनवाई में भी दिनांक 19/08/2025 को प्राप्त हुई। प्राप्त शिकायत अनुसार कोरोना काल सन 2022 जुलाई, अगस्तक, सितम्बजर, अक्टुतवर माह में नूजहत बानो बकाई जिला आपूर्ति खादय नियत्रंक, संजय खरे सहायक आपूर्ति अधिकारी के कार्यकाल में शासकीय उचित मूल्यक दुकानो से सांठगांठ, मिलीभगत कर जिम्मेसदार अधिकरियों द्वारा 1000 रूपये प्रति क्विंटल लेकर मध्यप्रदेश सरकारी पोर्टल से छेड़छाड़ कर पर्सनल आईडी लगिन से गेंहू, चावल, केरोसिन, चना दाल, मूंग दाल एवं अन्यर सामग्री हजारो किग्रा की मात्रा में स्टा क आवंटन घटाकर करोड़ो रूपये का भ्रष्टातचार एवं बंदरबांट किया गया है। 6. जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया किमान. उच्च न्या्यालय में प्रस्तुबत याचिका क्रमांक 14701/2023 में उल्लेखित तथ्यों को संज्ञान में लेकर तत्कालीन कलेक्टर नेपत्र क्रमांक 1032/2023दिनांक 23.08.2023 से श्री गुरु प्रसाद, तकनीकी निर्देशक NIC हैदराबाद से यह जानकारी मांगी गई कि उक्त2 11 राशन दुकानो की Aepds ऑनलाइन पोर्टल पर उक्त अवधि में किस तरह और कहां से किस लगिन से सामग्री हटाई गई है।इसी प्रकार का एक पत्र क्रमांक 1073/2023 दिनांक 29.08.2023 को जारी कर जिला आपूर्ति नियंत्रक द्वारा जिला सूचना अधिकारी, सूचना एवं विज्ञान विभाग (एनआईसी) जिला जबलपुर से भी यही जानकारी मांगी गई। 7. तत्कालीन जिला आपूर्ति नियंत्रक द्वारा जारी पत्र की प्रति आयुक्त, खादय,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल मध्यप्रदेश को भी प्रेषित की गई थी। उक्त पत्र को आयुक्त, द्वारा संज्ञान में लेकर एनआईसी हैदराबाद से ई-मैल के माध्यकम से जानकारी प्राप्त की गई। 8.NIC हैदराबाद से प्राप्त जानकारी के अनुसार - i जबलपुर जिले की 11 उचित मूल्य की दुकानों पर संचालित पीओएस मशीन/ पोर्टल से दिनांक 31.08.2022, 05.09.2022, 29.09.2022, 31.10.2022 को AePDSपोर्टल के स्टेट एडमिन लगिन का उपयोग करते

हुए गेहूं, चावल, नमक और शक्कर का स्टक कम किया जाना पाया गया है। ii स्टक कम करने के लिए, स्टेट एडमिन लगिन का उपयोग, आईपीएड्रेस क्रमांक27.56.249.185 एवं 157.34.236.76 से किया गया है। iii आईपी एड्रेस क्रमांक 27.56.249.185 एवं 157.34.236.76 संचालनालय खाद्य की नहीं हैं और ना ही संचालनालय स्तर से उक्त उचित मूल्य दुकान का स्टक कम किया गया है। iv उक्त आईपी एड्रेस का उपयोग जबलपुर नगर निगम क्षेत्र के यूजर आई.डी. jso_2363702 एवं jso_23637के द्वारा किया जाता रहा है। v स्पष्ट है कि इन यूजर आईडी (jso_2363702 एवं jso_23637) द्वारा उक्त आईपी एड्रेस (27.56.249.185 एवं 157.34.236.76) का उपयोग करते हुए पीओएस मशीन/पोर्टल से राशन सामग्री का स्टक कम किया गया है। 9. प्राथमिक जांच करने पर खाद्य शाखा में एक अन्य नस्ती प्राप्त हुई। उक्त नस्ती शासन द्वारा जारी पत्र क्रमांक 5356/खाद्य/2024 भोपाल दिनांक 10.10.2024के आधार पर प्रारम्भ की गई है। उक्त पत्र में उल्लेखित तथ्यों की जांच हेतु आदेश क्रमांक 1018/खादय/2024दिनाक14/10/2024 एवं संशोधित आदेश क्रमांक/ 1019/खादय/2024 दिनांक 15/10/2024 द्वारा जाँच दल का गठन किया गया है। जाच दल द्वारा दिनांक 27/12/2024 को जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए हैं। नोटशीट के अनुसार उक्त जांच प्रतिवेदन दिनांक 26/05/2025कोजिला आपूर्ति नियंत्रक को प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन नस्ती को लंबित रखा गया और नस्ती कलेक्टर को प्रस्तुत नहीं की गई। 10. जांच प्रतिवेदन में पीओएस मशीन/पोर्टल से स्टक की कमी के बारे में कोई भी तथ्य प्रतिवेदित नहीं किया गया है, तथापि जांच प्रतिवेदन अनुसार भौतिक सत्यापन में विभिन्न दुकानों पर स्टक की कमी पाई गई, जिसका विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 भाग-Aपर दिया गया है। उक्त स्टक का मूल्य संलग्न परिशिष्ट-1(भाग-B)पर दिया गया है। 11. उक्त घटना दिनांक 31.08.2022, 05.09.2022, 29.09.2022एवं 31.10.2022 को उक्त 11 राशन दुकानमें से 09 दुकान के क्षेत्र का प्रभार कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्रीमती भावना तिवारीऔर 02 दुकान क्षेत्र का प्रभार कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्रीमती सुचिता दुबे के पास था। तत्समय जिलाआपूर्ति नियंत्रक का कार्यभार श्रीमती नुजहत बानो बकाई के पास औरAepdsपोर्टल के मैनेजमेंट का कार्य DPMU (डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट) श्री अक्षय कुमार खरे के पास था।12.उक्ते गडवडी की अवधिमई 2022 से अक्टुटवर 2022 तक के दौरान पदस्थी अधिकारी, कर्मचारी, विक्रेता एवं अन्यी की जानकारी संलग्न परिशिष्ट-2पर दी गई है। 13.जांच में 11 राशन दुकान पर स्टक (मूल्य रुपये 2,20,12,460.00) की कमी सिद्ध पाई गई है। यह सिद्ध है कि राशन दुकान के संचालक गण द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के स्टक को वास्तविक हितग्राहियों को वितरण करने की बजाय रुपये 2,20,12,460.00 मूल्य के उक्त स्टक की अफ़रातफ़री कर आपराधिक कृत्य कारित किया गया है। उपभोक्ताओं को आर्थिक क्षति कारित कर अनुचित लाभ अर्जित किया गया है। शासन द्वारा आवंटित खाद्यान्न, नमक और शक्कर की अफ़रातफ़री कर ग़बन का आपराधिक कृत्य कारित किया गया है। 14.राशन दुकान का नियमित निरीक्षण कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न और अन्य सामग्री का वितरण वास्तविक उपभोक्ताओं तक सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जिला आपूर्ति नियंत्रक और संबंधित कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी की है। राशन दुकान पर भारी मात्रा में स्टक की कमी होने के बाद भी जिला आपूर्ति नियंत्रक और संबंधित कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। यह कृत्य शासकीय कर्तव्य की प्रति लापरवाही बरतने का है। राशन दुकान की निगरानी और निरीक्षण करने में जिला आपूर्ति नियंत्रक और संबंधित कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी नितांत असफल रहे हैं। उक्त कृत्य के लिए जिला आपूर्ति नियंत्रक श्रीमति नूज़हत बानो बकाई और कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्रीमति भावना तिवारी औरश्रीमति सुचिता दुबे प्रथम दृष्टया दोषी हैं। 15.आयुक्त खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा NIC हैदराबाद के हवाले से यह अवगत कराया है कि स्टक की अफ़रातफ़री की गई मात्रा को पीओएस मशीन/पोर्टल से स्टेट एडमिन लगिन का उपयोग कर घटाया गया है। यह कृत्य जिस आईपी एड्रेस से किया गया है, उक्त आईपी एड्रेस का उपयोग जबलपुर निगम क्षेत्र के लगिन आईडी द्वारा Aepdsके अन्य कार्यो हेतु उपयोग किया गया है। NIC हैदराबाद से प्राप्त जानकारी का विश्लेषण करने पर यह भी स्पष्ट होता है कि घटना दिनांक को भी उक्त यूजर आईडी से, उक्त आईपी एड्रेस के माध्यम से Aepdsपोर्टल को एक्सेस किया गया है। 16.स्टक की अफ़रातफ़री की गई मात्रा को पीओएस मशीन/पोर्टल

(कोड क्रमांक 331632
(कोड क्रमांक 331
क्रमांक 33

से अवैधानिक रूप से घटाने के लाभ ग्रहिता राशन दुकान के संचालकगण हैं, लेकिन शासकीय पोर्टल और जबलपुर नगर क्षेत्र के लिए उपयोग किए जा रहे आईपी एड्रेस पर राशन दुकान के संचालक की एक्सेस नहीं है। शासकीय पोर्टल और आईपी एड्रेस पर एक्सेस केवल कतिपय शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों तक सीमित है। अतः स्टक की अफ़रातफ़री की गई मात्रा को पीओएस मशीन/पोर्टल से अवैधानिक रूप से घटाने का कृत्य उन शासकीय अधिकारियो/कर्मचारियो द्वारा ही किया जाना संभव है, जिनके द्वारा पूर्व में उक्त आईपी एड्रेस को एक्सेस किए जाने की हिस्ट्री रही है एवं उक्त कृत्य में लाभग्रहीता राशन दुकान संचालक की संलिप्तता स्वतः सिद्ध है। 17.जबलपुर नगर निगम क्षेत्र की दुकान के लिए उक्त आईपी एड्रेस के माध्यम से Aepdsपोर्टल पर एक्सेस श्रीमति भावना तिवारी, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, श्रीमति सुचिता दुवेकनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, श्रीमति नुजहत बानो बकाई, जिला आपूर्ति नियंत्रक एवंश्री अक्षय कुमार खरे, DPMU को व्यावहारिक दृष्टि से उपलब्ध थी। 18.यह सिद्ध है कि यदि राशन दुकान की निगरानी व्यवस्थित रूप से की जाती, मासिक आवंटन का ठीक तरीके से पर्यवेक्षण किया जाता तो स्टॉक की अफ़रातफ़री को आसानी से पकड़ा जा सकता था। इसकी पूरी जिम्मेदारी जिला आपूर्ति नियंत्रक और कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी की थी। प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि उक्त अधिकारियों द्वारा कर्तव्य पालन में लापरवाही और उदासीनता बरती गई और स्टॉक की अफ़रातफ़री को नज़रअंदाज़ किया गया। उक्त अधिकारियों का यह आचरण स्टॉक की अफ़रातफ़री की गई मात्रा को पीओएस मशीन/पोर्टल से अवैधानिक रूप से घटाने में उनकी संलिप्तता कोप्रदर्शित करता है। 19.सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन में जिला आपूर्ति नियंत्रक और संबंधित कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी की भूमिका अत्यंत अहम है। यह कतई संभव नहीं है कि Aepds पोर्टल से किसी राशन दुकान का स्टॉक अकस्मात कम हो जाए और जिला आपूर्ति नियंत्रक तथा कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को पता ही ना चले। तत्कालीन जिला आपूर्ति नियंत्रक के विरुद्ध पैसे लेकर स्टॉक घटाने की शिकायतें की गई हैं। यह भी स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण में विधिसंगत कार्यवाही करने में जिला आपूर्ति नियंत्रक और संबंधी कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा शिथिलता बरती गई है। प्रकरण में उनका आचरण उनकी संलिप्तता को प्रदर्शित करता है। 20. Aepdsपोर्टल का मैनेजमेंट, DPMU श्री अक्षय कुमार खरे द्वारा किया जाता था। बिना DPMU की जानकारी के पोर्टल से स्टॉक को घटाना संभव ही नहीं है। अतः प्रथम दृष्टया स्टॉक की अफ़रातफ़री की गई मात्रा को पीओएस मशीन/पोर्टल से अवैधानिक रूप से घटाने के कृत्य में उनकी संलिप्तता भी प्रदर्शित होती है। 21. अतः प्रथम दृष्टया यह पाया जाता है कि उक्त चारों व्यक्तियों ने अनुचित लाभ अर्जित करने की दुर्भावना के साथ मिलीभगत कर स्टॉक की अफ़रातफ़री की गई मात्रा को पीओएस मशीन/पोर्टल से अवैधानिक रूप से घटाने का कृत्यकारित कर आवश्यदक वस्तुय (पीडीएस स्टॉ क) का गबन किया गया है तथा पीडीएस स्टॉ क की कालाबाजारी कर निजी व्यंक्तियों को लाभ पहुंचाया गया है। 22. रुपये 2,20,12,460.00 मूल्य के पीडीएस स्टॉक की अफ़रातफ़री राशन दुकान के संचालकगण द्वारा की गई है। स्टॉक की अफ़रातफ़री की गई मात्रा को पीओएस मशीन/पोर्टल से अवैधानिक रूप से घटाने के कृत्य में मुख्य भूमिका किसी राशन दुकान संचालक अथवा किसी शासकीय अधिकारी/कर्मचारी की हो सकती है। मुख्य भूमिका निभाने वाले उक्त व्यक्ति ने ही अनुचित लेनदेन की डील की होगी। मुख्य भूमिका निभाने वाले व्यक्ति का निर्धारण सक्षम तकनीकी जांच और पुलिस अनुसंधान से ही संभव है। 23.सार्वजनिक वितरण प्रणाली के स्टॉक को वास्तविक हितग्राहियों को वितरण करने की बजाय रुपये 2,20,12,460.00 मूल्य के उक्त स्टॉक की अफ़रातफ़री करना और अफ़रातफ़री की गई मात्रा को पीओएस मशीन/पोर्टल से अवैधानिक रूप से घटाने का आपराधिक कृत्य भारतीय न्याय संहिता 2023 की सुसंगत धाराओं के साथ-साथ मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 कि कण्डिका 13(2) एवं आवश्यरक वस्तु- अधिनियम 1955 की धारा 3 सहपठित धारा 7 के अंतर्गत दण्ड नीय अपराध है। 24.अतः सार्वजनिक वितरण प्रणाली के स्टॉक को वास्तविक हितग्राहियों को वितरण करने की बजाय रुपये 2,20,12,460.00 मूल्य के स्टॉक की अफ़रातफ़री करने और अफ़रातफ़री की गई मात्रा को पीओएस मशीन/पोर्टल से अवैधानिक रूप से घटाने का आपराधिक कृत्य कारित करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें-1.श्री आकाश नेचलानी, विक्रेता, अमर उपभोक्ता सहकारी भण्डार

(कोड क्रमांक 3316326) 2.श्री रामचरण विश्वलकर्मा, सहायक विक्रेता अमर उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316326) 3.श्रीमती कविता नेचलानी, अध्य,क्ष, अमर उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316326) 4.श्री गुंजन वेदी, विक्रेता, पूजा उपभोक्ता सहकारी भण्डार, (कोड क्रमांक 3316331) 5. श्रीविशालबर्मन, पूर्व विक्रेता, पूजा उपभोक्ता सहकारी भण्डार, (कोड क्रमांक 3316331) 6.श्रीमती प्रीति अवस्थी्, अध्यकक्ष, पूजा उपभोक्ता सहकारी भण्डार, (कोड क्रमांक 3316331)7.श्री कपिल तिवारी, सहायक विक्रेता, नव शक्ति महिला उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316332)8.श्रीमति नीता तिवारी, अध्यकक्ष, नव शक्ति महिला उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316332) 9.श्रीमति नाजिया वेगम, विक्रेता, मां शारदा देवी महिला उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316333) 10. श्रीअभिषेकपटेल, सहायक विक्रेता, विक्रेता, मां शारदा देवी महिला उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316333)11.श्रीसत्ये न्द्रितिवारी, तत्कालीन सहायक विक्रेता, विक्रेता, मां शारदा देवी महिला उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316333) 12.श्रीमति किरण जायसवाल, अध्य क्ष, विक्रेता, मां शारदा देवी महिला उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316333) 13.श्री आयूष चौधरी, सहायक विक्रेता, संत रविदास नगर उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316396) 14.श्रीमति मीना चौधरी, अध्यसक्ष, संत रविदास नगर उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316396)15.श्री रामचरण विश्वौकर्मा, विक्रेता, मां नर्मदेश्वर प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316395)16.श्री दिनेश नेचलानी, अध्यअक्ष, मां नर्मदेश्वर प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316395)17.श्री अमर नाथ प्रधान, विक्रेता, नर्मदा उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316392) 18. श्री पीयूष अवस्थी्, अध्याक्ष एवं सहायक विक्रेता, नर्मदा उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316392)19.श्री राम अवतार विश्वकर्मा, विक्रेता, आदित्य प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316311) 20.श्री राहुल गुप्ता, नॉमिनी, आदित्य प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316311) 21.श्री हार्दिक धनोरिया, अध्यक्ष, आदित्य प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316311) 22.श्रीमति गीता राजपूत, विक्रेता, शिवशक्ति प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316345) 23.श्रीराजेशकुशवाहा, सहायक विक्रेता, शिवशक्ति प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316345) 24.श्री अंशु जायसवाल, अध्यतक्ष, शिवशक्ति प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316345) 25.श्री राजकुमार चौधरी, विक्रेता, एकता प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316156) 26.श्री इमरान मंसूरी, विक्रेता, सिटी प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316162 एवं सहायक विक्रेता,एकता प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316156)। 27.श्रीमति कमर जहां मंसूरी, अध्य क्ष, एकता प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316156) 28.श्री मो अजहर, सहायक विक्रेता, सिटी प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316162, 29.श्री हामिद मंसूरी, अध्यकक्ष, सिटी प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316162) 30.श्रीमति भावना तिवारी, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, अनुविभाग गोरखपुर, जबलपुर 31. श्रीमति सुचिता दुबे, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, अनुविभाग गोहलपुर, जबलपुर 32.श्री अक्षय कुमार खरे, डीपीएमयू (डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट, जबलपुर 33. श्रीमति नुजहत बानो बकाई,जिला आपूर्ति नियंत्रक, जबलपुर ऋषभ जैन संयुक्त कलेक्टर जबलपुरपरिशिष्ट -1 (भाग A)भौतिक सत्यापन में राशन दुकान पर पाई स्टक की कमी (अफ़रातफ़री की मात्रा) क्रमांकदुकान का नाम कोडकोडस्टक की कमी मात्रा(क्विंटल में)गेंहूचावलनमकशक्कर1अमर उपभोक्ता सहकारी भण्डार3316326128102.0315.8902पूजा उपभोक्ता सहकारी भण्डार3316331546.78618.12003नव शक्ति महिला उपभोक्ता सहकारी भण्डार3316332334.99247.17004मां शारदा देवी महिला उपभोक्ता सहकारी भण्डार33163331336.371095.93005संत रविदास नगर उपभोक्ता सहकारी भण्डार331639694.18184.7902.706मां नर्मदेश्वर प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार3316395271.62398.6214.387.007नर्मदा उपभोक्ता सहकारी भण्डार3316392296.7285.73008आदित्य प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार33163111328100९शिवशक्ति प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार3316345496.78408.130010 एकता प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार3316156100.571460011सिटी प्राथ. उपभोक्ता सहकारी

भण्डार3316162179.7920.3700योग3917.83387.930.279.7परिशिष्ट -1 (भाग B)अफ़रातफ़री की गई स्टक मात्रा का मूल्यक्रमांकसामग्रीस्टक में अफ़रातफ़री की गई मात्रा (मी. टन में)मूल्य(रूपये में)1गेंहू391.780 MT98,16,047.002चावल338.789 MT1,21,29,527.003नमक3.027 MT27,243.004 शक्कर0.97 MT39,643.005कुल योग2,20,12,460.00दो करोड,बीस लाख,बारह हजार,चार सौ साठ रूपयेपरिशिष्ट - 2गडबडी की अवधिमई 2022 से अक्टूबर2022 तक के दौरान पदस्थई अधिकारी, कर्मचारी, विक्रेता एवं अन्यन की जानकारीअनुविभाग गोरखपुर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी - श्रीमति भावना तिवारी,जिला आपूर्ति नियंत्रक - श्रीमति नुजहत बानो बकाईDPMU - श्री अक्षय कुमार खरेस.क्र.शासकीय उचित मूल्य दुकान का नामदुकान कोडराशन दुकान संचालको के नाम1अमर उपभोक्ता सहकारी भण्डार3316326श्री आकाश नेचलानी - विक्रेताश्री रामचरण विश्व कर्मा - सहायक विक्रेता श्रीमती कविता नेचलानी - अध्य क्ष 2पूजा उपभोक्ता सहकारी भण्डार3316331श्री गुंजन वेदी - विक्रेताश्री विशाल वर्मन - पूर्व विक्रेता श्रीमती प्रीति अवस्थीभ - अध्य क्ष 3नव शक्ति महिला उपभोक्ता सहकारी भण्डार3316332श्री कपिल तिवारी - सहायक विक्रेता श्रीमति नीता तिवारी - अध्यकक्ष 4मां शारदा देवी महिला उपभोक्ता सहकारी भण्डार3316333श्रीमति नाजिया बेगम - विक्रेता श्री अभिषेक पटेल - सहायक विक्रेता श्री सत्येकन्द्रभ तिवारी - तत्काकलीन सहायक विक्रेता श्रीमति किरण जायसवाल - अध्यरक्ष 5संत रविदास नगर उपभोक्ता सहकारी भण्डार3316396श्री आयूष चौधरी - सहायक विक्रेता श्रीमति मीना चौधरी - अध्यकक्ष 6मां नर्मदिश्वर प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार3316395श्री रामचरण विश्वणकर्मा - विक्रेता श्री दिनेश नेचलानी - अध्य-क्ष 7नर्मदा उपभोक्ता सहकारी भण्डार3316392श्री अमर नाथ प्रधान - विक्रेता श्री पीयूष अवस्थी ा - अध्य क्ष एवं सहायक विक्रेता 8आदित्य प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार3316311श्री राम अवतार विश्वकर्मा - विक्रेता श्री राहुल गुप्ता - नमिनी श्री हार्दिक धनोरिया - अध्यक्ष 9शिवशक्ति प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार3316345श्रीमति गीता राजपूत - विक्रेता श्री राजेश कुशवाहा - सहायक विक्रेताश्री अंशु जायसवाल - अध्यकक्ष अनुविभाग गोहलपुरकनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी - श्रीमति सुचिता दुबेजिला आपूर्ति नियंत्रक - श्रीमति नुजहत बानो बकाईDPMU - श्री अक्षय कुमार खरेस.क्र.शासकीय उचित मूल्य दुकान का नामदुकान कोडराशन दुकान संचालको के नाम10एकता प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार3316156श्री राजकुमार चौधरी - विक्रेताश्री इमरान मंसूरी - सहायक विक्रेता श्रीमति कमर जहां मंसूरी - अध्यकक्ष 11सिटी प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार3316162इमरान मंसूरी - विक्रेता मो अजहर - सहायक विक्रेता हामिद मंसूरी - अध्यक्ष *************ऋषभ जैनसंयुक्त कलेक्टर जबलपुर हस्ताक्षर अस्पष्ट

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 उल्लेख धारा के तहत है |)

(1) **Registered the case and took up the investigation:** or (या)
(प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

(2) **Directed (Name of I.O.)** (जांच अधिकारी का नाम): DHANI RAM BARKADE
No.(सं.):
Rank (पद): I (Inspector)

to take up the Investigation
(को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) **or** (या)

(3) **Refused investigation due to** (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) **Transferred to P.S.**(थाना): **District** (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी |)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.) थाना प्रभारी के निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज की गई

FIR Writer (कायमीकर्ता के हस्ताक्षर)
Name (नाम): शैलेश मिश्रा
Rank (पद): उ०नि०/अपरा०

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)
Name (नाम):SAILESH MISHRA
Rank(पद): I (Inspector)
No.(सं.):

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण : (यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म	Build (बनावट)	Height (cms.)	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष					
2	पुरुष					

Deformities/	Teeth	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा/बोली)	Place Of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है ।)